कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

(नजारत शाखा)

निविदा

सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक 3488/रा0 दिनांक 24.07.2016 से जिला में अवस्थित अतिथि गृह एवं परिसदन भवन के संचालन के आउटसोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रण करने के संबंध में निदेश प्राप्त हुआ है फलस्वरूप जिला मुख्यालय अवस्थित परिसदन भवन, गढ़वा के संचालन के लिए आउटोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हे। निविदा दिनांक 02.09.2016 से 16.09.2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक जिला नजारत शाखा, पलामू में रखे बक्से में डाला जा सकेगा। निविदा दिनांक 16.09.2016 को अपराह्न 3.30 बजे उपायुक्त कार्यालय वेश्म में खोला जाएगा।

1. परिसदन भवन की आंतरिक साफ–सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों, हॉल, प्रसाधन गृहों, रसोईघर सहित पूरे परिसर की साफ–सफाई एवं रख–रखाव।
2. परिसदन भवन के लॉन, बगीचा में पेड़, फूल एवं घास आदि की सफाई एवं रख–रखाव।
3. परिसदन भवन में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युतीय मशीन उपकरणों एवं जलापूर्ति का रख–रखाव।
4. परिसदन भवन के कमरों, हॉल एवं रसोई घर के फर्नीचर/उपस्कर आदि की मरम्मती एवं रख–रखाव।
5. परिसदन भवन में ठहरे हुए व्यक्तियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएं यथा साबुन, तेल, शैम्पू, तौलिया आदि की आपूर्ति।
6. परिसदन भवन में बेडसीट, मच्छरदानी, पर्दा, ताकिया, तौलिया, कम्बल आदि की आपूर्ति, सफाई एवं धुलाई।
7. परिसदन भवन में निर्बाध विद्युत की व्यवस्था जेनरेटर सहित।
8. परिसदन भवन में ठहरे हुए अतिथियो के लिए चाय, नाश्ता, भोजन एवं भोजन पकाने आदि की व्यवस्था निर्धारित दर पर करना। निविदादाता चाय, नाश्ता, भोजन आदि का दर स्वयं निर्धारित कर निविदा में प्रति प्लेट मेनू सहित अंकित करेंगे जिसका समिति के द्वारा निविदादाता के समक्ष दर निर्धारण किया जाएगा तथा भोजन, चाय, नाश्ता आदि से होने वाली आय निविदादाता के पास ही रहेगी।

उपरोक्त कार्यो के निष्पादन निविदादाता को दो अलग–अलग मुहरबद लिफाफें में तकनिकी बीड एवं वित्तीय बीड से संबंति कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनिकी बीड एव वित्तीय बीड अंकित करना होगा।

उल्लेखनीय है कि परिसदन भवन में कमरों का आरक्षण पूर्वतः जिला नजारत द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजानों में जमा की जायेगी। संचालन व्यवस्था की निगरानी हेतु जिला द्वारा प्रतिनियुक्त केयर टेकर द्वारा किया जाएगा।

तकनीकी बीड के अन्तर्गत निम्नांकित कागजात संलग्न करना होगा –

(क) तकनिकी बीड में संस्था एवं व्यक्ति का वार्षिक टर्न ओभर अद्यतन आयकर रिर्टन।
(ख) कैटरिंग एवं हाउस किपिंग का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र।
(ग) वाणिज्यकर विभाग द्वारा निर्गत पंजीयन एवं अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र।
(घ) फर्म / व्यक्ति के नाम से निर्गत आयकर रिर्टन ही मान्य होगा।
(च) श्रम विभाग से निबंधित मजदूरों से ही उपरोक्त कार्य कराने होंगे उनका निबंधन प्रमाण–पत्र रखना आवश्यक होगा।
(छ) संस्था के प्रोपराईटर का अचरण प्रमाण–पत्र उपायुक्त द्वारा निर्गत।

वित्तीय बीड –

(क) उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु उपयोग के आधार पर निविदादाता को दैनिक राशि Quote करना होगा।

निविदा की शर्तें –

- परिसदन भवन में लगे सभी इलॉक्ट्रानिक्स, विद्युतीय एवं मशीन उपकरणों की साफ–सफाई एवं रख–रखाव अच्छे ढंग से करनी होगा।
- कमरों एवं हॉल में रखे फर्नीचर की साफ–सफाई एवं रख–रखाव अच्छे ढंग से करनी होगी।
- अतिथियों के प्रसाधन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उच्च गुणवत्ता की आपूर्ति करनी होगी।
- भोजन, चाय, नाश्ता आदि की आपूर्ति समय पर एवं गुणवत्ता के साथ करनी होगी।
- निविदा स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

यह निविदा गढ़वा जिला के वेबसाईट garhwa.nic.in पर देखा जा सकता है।

31/8

उपायुक्त
गढ़वा।

ज्ञापांक –186 /नजा०, दिनांक – 31-08-16

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, सूचना जनसम्पर्क विभाग, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, NIC, garhwa को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/16

जिला नजारत उपसमाहर्त्ता
गढ़वा

31/8/16